

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 38/2021-22 के परिशिष्ट का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-चैन्ई/सीपी-III/2021-22
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 38/2021-22 का परिशिष्ट

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली- 110003

जारी करने की तारीख : 04 मार्च, 2022

हवाईअड्डा प्रचालक : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
हवाईअड्डा : चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने

चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने (एमएए) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

1. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ("ऐरा" या "प्राधिकरण") ने दिनांक 04 फरवरी, 2022 के आदेश संख्या 38/2021-22 द्वारा चैन्ने अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्ने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित की है।
2. प्राधिकरण ने आदेश संख्या 38/2021-22 के अपने निर्णय संख्या 17.1.3 द्वारा यह निर्णय लिया है कि तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होगा।
3. आदेश जारी होने के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिनांक 02.03.2022 की अपनी ई-मेल द्वारा प्राधिकरण के विचारार्थ निम्नलिखित प्रस्ताव किया है:
"संशोधित प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) प्रभार 01.04.2022 को या उसके बाद जारी किए जाने वाले टिकटों पर लागू होंगे "
4. इसकी जांच के आधार पर प्राधिकरण का यह मत है कि इसे सम्मिलित किए जाने से 01.04.2022 को या इसके बाद जारी किए जाने वाले टिकटों पर संशोधित प्रयोक्ता विकास शुल्क प्रभार लागू किए जाने के संबंध में अधिक स्पष्टता आएगी। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आदेश संख्या 38/2021-22 के पैरा 18.1.2 के अंतर्गत इसे सम्मिलित करने के विचार को मानने का निर्णय लेता है।

आदेश

5. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्राधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और स्पष्टीकरणों के आधार पर प्राधिकरण निम्नलिखित को आदेश संख्या 38/2021-22 के पैरा 18.1.2 के अंतर्गत बिंदु (ड.) के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लेता है और ऐसा करने का आदेश देता है :
"संशोधित प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) प्रभार 01.04.2022 को या उसके बाद जारी किए जाने वाले टिकटों पर लागू होंगे "
6. दिनांक 04.02.2022 के आदेश संख्या 38/2021-22 के अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

अध्यक्ष,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए

मैसर्स इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी में 01.02.2022 से 31.03.2022 तक के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित तदर्थ ग्राउंड हैंडलिंग टैरिफ		
शेड्यूलड/नॉन शेड्यूलड प्रचालनों (अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय) के लिए		
अधिकतम अनुमोदित टैरिफ (भारतीय रूप में विद्यमान दरों में हवाईअड्डा रॉयल्टी सम्मिलित है लेकिन सरकारी कर शामिल नहीं है)		
सेवाएं	विमान का प्रकार	अनुमोदित टैरिफ
Comprehensive	A300	3,05,737
Comprehensive	A310	2,58,872
Comprehensive	A319	1,70,231
Comprehensive	A320	1,70,231
Comprehensive	A321	1,70,231
Comprehensive	A330	3,05,737
Comprehensive	A340	4,29,817
Comprehensive	ATR72	26,780
Comprehensive	B737	1,70,231
Comprehensive	B757	1,69,606
Comprehensive	B767-300	3,05,737
Comprehensive	B777	3,12,432
Comprehensive	CRJ200	78,108
Comprehensive	Dash8-Q400	56,774
Comprehensive	DC10	2,60,925
Comprehensive	Embraer-145	26,780
Comprehensive	Fokker 100	94,176
Comprehensive	Fokker F28	56,774
Freighter	A330F	3,19,127
Freighter	B747F	2,92,615
Freighter	B777F	87,914
Freighter	MD11F	87,914

नोट : ऊपर उल्लिखित सभी प्रभार अधिकतम है और इनमें रॉयल्टी/ रियायत शुल्क सम्मिलित है। लागू सांविधिक करों का भुगतान अतिरिक्त रूप से किया जाएगा।

